**उत्तर प्रदेश सरकार**
**वित्त ( वेतन आयोग) अनुभाग-2**
**(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)**
**संख्या-27/2015/वे0आ0-2-355/दस- 2014**
**लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2015**

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है-:

**उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी**
**(राजपत्रित) सेवा नियमावली , 2015**

| | भाग-एक-सामान्य |
|---|---|
| **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** | **1- (1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली , 2015 कही जायेगी।<br>**(2)** यह तुरन्त प्रवत्त होगी। |
| **इस नियमावली का लागू होना** | **2-** यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रण के अधीन अधिष्ठानों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी विभाग में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर लागू होगी। |
| **अध्यारोही प्रभाव** | **3-** यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी। |
| **सेवा की प्रास्थिति** | **4-** उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा में समूह 'ख' के पद समाविष्ट है। |
| **परिभाषायें** | **5 -**जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-:<br>**(क)** "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;<br>**(ख)** "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पय निदेशक से है; |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| | **(ग)** "भारत का नागरिक " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय ;<br>**(घ)** "संविधान का तात्पर्य " भारत का संविधान से है;<br>**(ड)**"निदेशक " का तात्पर्य निदेशक, आन्तरिक लेखा एंव लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश से है;<br>**(च)** "सरकार "का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;<br>**(छ)** "राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;<br>**(ज)** "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;<br>**(झ)** "नागरिको के अन्य पिछ़डे वर्गो " का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछ़डे वर्गो से है।<br>**(ञ)** "सेवा " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखाधिकारी (राजपत्रित) सेवा से है;<br>**(ट)**"मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हैं जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथा समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;<br>**(ठ)**"भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है; |
| | **भाग-दो-संवर्ग** |
| **सेवा का संवर्ग** | **6-(1)** शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1852/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 और शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011के अनुसार निदेशक के नियंत्रणाधीन जो कि संवर्ग के लिये नियंत्रक प्राधिकारी होगा, समस्त सरकारी विभागों जिनमें यह नियमावली लागू होगी , में सहायक लेखा अधिकारी के पदों का एक सम्मिलित संवर्ग होंगा।<br>**(2)** सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।<br>**(3)** जब तक कि उप नियम(3) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है।<br><br>**पद का नाम** — **पदों की संख्या**<br>सहायक लेखा अधिकारी — 370<br><br>परन्तु यह कि-<br>**(एक)** नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| | राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या<br>**(दो)** राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हे वह उचित समझें।<br>**(4)** विभिन्न सरकारी विभागों में सहायक लेखा अधिकारी के पदों का आवंटन निदेशक द्वारा किया जायेगा, जिसका वर्ष प्रति वर्ष आधार पर निदेशक द्वारा पुनरीक्षण किया जायेगा और यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो इसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा किया जायेगा। |
| | **भाग-तीन-भर्ती** |
| **भर्ती का स्रोत** | 7- सेवा में पदों पर भर्ती, मौलिक रुप से नियुक्त लेखाकारों और ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पॉच वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये लेखाकारों और ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पदोन्नति हेतु कोटा की संगणना उनके अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में की जायेगी। |
| | **भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया** |
| **रिक्तियों का अवधारण** | 8- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। |
| **पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया** | **9-(1)** पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डो के आधार पर की जायेगी।<br>**(2)** उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992 में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी-: |

| | |
|---|---|
| **(एक)** नियुक्ति प्राधिकारी | अध्यक्ष |
| **(दो)** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जिसके पास उस पद की पर्यवेक्षकीय हैसियत हो। | सदस्य |

**टिप्पणी-**चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय7 समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा- के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**(3)** नियुक्ति प्राधिकारी, समय-स्मय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर ) चयोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉ तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखो के साथ, जो उचित समझें जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| | **(4)** चयन समिति उपनियम (3)में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे जो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।<br>**(5)** चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। |
| | **भाग-पॉच-नियुक्ति, प्रशिक्षण ,परिवीक्षा ,स्थायीकरण और ज्येष्ठता** |
| **नियुक्ति** | **10-(1)** नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम - 9 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियॉ करेगा।<br>**(2)** यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो। |
| **प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा** | **11-** सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से, राज्यपाल के विवेक पर, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा समीचीन समझा जाय। |
| **परिवीक्षा** | **12-(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 ,के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।<br>**(2)** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया हैं या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।<br>**(3)** ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।<br>**(4)** नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। |
| **स्थायीकरण** | **13-(1)** उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।<br>यदि -<br>**(क)** उसने विहित प्रशिक्षण यदि कोई, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,<br>**(ख)** उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| | **(ग)** उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और<br>**(घ)** नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।<br>**(2)** जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। |
| **ज्येष्ठता** | **14-** सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। |
| | **भाग सात-वेतन इत्यादि** |
| **वेतनमान** | **15-(1)** सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।<br>**(2)** इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान, वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) सह ग्रेड वेतन रू0 4800 है। |
| **परिवीक्षा अवधि में वेतन** | **16-(1)** फाण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।<br>**(2)** ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा :<br>परन्तु यह कि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।<br>**(3)** ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। |
| | **भाग-आठ अन्य उपबन्ध** |
| **पक्ष समर्थन** | **17-** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| | अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा। |
| **अन्य विषयों का विनियमन** | **18-** ऐसे विषयो के सम्बन्ध में ,जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो , सेवा में नियुक्त व्यक्ति , राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों , विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। |
| **सेवा की शर्तो में शिथिलता** | **19-** जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। |
| **व्यावृत्ति** | **20-**इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो । |

**आज्ञा से,**

**अजय अग्रवाल**

**सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 27/2015/Va.Aa.-2-355/TEN-2014 dated 13 May, 2015:

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**
**FINANCE DEPARTMENT**
(NIYAMAWALI AND VIDHI PRAKOSTH)

**NOTIFICATION**
Miscellaneous

No. 27/2015/ Va.Aa.-2-355/TEN-2014

Dated Lucknow, 13 May, 2015

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Subordinate Accounts Officers (Gazetted) Service :

## THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT ASSISTANT ACCOUNTS OFFICERS (GAZETTED) SERVICE RULES, 2015

### PART-I- GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **Short title and commencement** | 1. | (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Government Department Assistant Accounts Officers (Gazetted) Service Rules, 2015.<br>(2) They shall come into force at once. |
| **Application of these rules** | 2. | These rules shall apply to the posts of the Assistant Accounts officer of the Subordinate Account Cadre in Government Departments under the rule making power of the Governor |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the High Court of Judicature at Allahabad, the Governor's Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukta, the Advocate General, Uttar Pradesh, and of the establishments under the control of the Advocate General, Uttar Pradesh Secretariat, The Uttar Pradesh State Public Services Tribunal and Director, Local Fund and Audit, Uttar Pradesh. |
| **Overriding effect** | 3. | These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders for the time being in force. |
| **Status of the service** | 4. | The Uttar Pradesh Government Department Subordinate Assistant Accounts Officers (Gazetted) Service is a Service comprising Group "B" posts. |
| **Definitions** | 5. | In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :<br>**(a)** "**Act**" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;<br>**(b)** "**appointing authority**" means the Director;<br>**(c)** "**citizen of India**" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;<br>**(d) "Constitution**" means the Constitution of India;<br>**(e) "Director**" means the Director, Internal Accounts and Audit, Uttar Pradesh; |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | **(f) "Government"** means the State Government of Uttar Pradesh;<br>**(g) "Governor"** means the Governor of Uttar Pradesh;<br>**(h) "member of the service"** means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;<br>**(i) "other backward classes of citizens"** means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;<br>**(j)"Service"** means the Uttar Pradesh Government Department Assistant Accounts Officers (Gazetted) Service;<br>**(k) "substantive appointment"** means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;<br>**(l)** "**year of recruitment**" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year. |
| | | **PART-II- CADRE** |
| **Cadre of Service** | 6. | (1) In accordance with Government Order NO. Va.Aa-2-1852/Ten-54(M)2008 T.C., dated October 10, 2011 and Government Order No. Va.Aa-2-1853/Ten-54(M)2008 T.C., dated October 10, 2011 there shall be a combined cadre of the posts of Assistant Accounts Officer in all the Government Departments to which these rules shall apply under the control of the Director, who shall be the controlling authority |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | for the cadre.<br>(2) The strength of the services shall be such as may be determined by the Government form time to time.<br>(3) The strength of the services shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(3), be as given below :<br><table><tr><td>Name of post</td><td>Number of posts</td></tr><tr><td>Assistant Account Officer</td><td>370</td></tr></table><br>Provided that:-<br>(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or<br>(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.<br>(4) The allocation of the posts of Assistant Accounts Officer in different Government Departments shall be made by the Director which shall be reviewed by the Director on year to year basis and if some change in required, if shall be made by the Director with the approval of the Government. |
| | | **PART-III- RECRUITMENT** |
| **Source of recruitment** | 7. | Recruitment to the posts in the services shall be made by promotion through the Selection Committee from amongst who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and for this purpose the quota for promotion for Accountants and Senior Auditors shall be computed in the ratio of their respective cadre strength. |
| | | **PART-IV- PROCEDURE FOR RECRUTIMENT** |
| **Determination of vacancies** | **8.** | The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment . |
| **Procedure for recruitment by promotion** | **9.** | (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time.<br>(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | the Uttar Pradesh Constitution of Department Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Services Commission Rules, 1992, the Selections Committee shall be constituted as follows:<br><br>(i) Appointing Authority — Chairman<br>(ii) Two gazetted officers nominated by the appointing authority, have supervisory capacity of the post. — Members<br><br>**Note-** Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.<br>(3) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules,1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.<br>(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (3), and , it considers necessary, it may interview the candidates also.<br>(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority. |
| | | **PART-VI- APPOINTMENT, TRAINING PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY** |
| **Appointment** | **10.** | (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | | stand in the lists prepared under rules 9.<br>(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted. |
| **Training and Departmental Examination** | **11.** | Candidates entering the Service may, at the discretion of the Governor, be required to undergo such training and pass such departmental examination as may be considered expedient. |
| **Probation** | **12.** | (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with The Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules,2013.<br>(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.<br>(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.<br>(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation. |
| **Confirmation** | **13.** | (1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-<br>(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any, |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | (b) his work and conduct is reported to be satisfactory,<br>(c) his integrity is certified, and<br>(d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.<br>(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation. |
| **Seniority** | **14.** | The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules,1991, as amended from time to time. |
| | | **PART -VII- PAY ETC** |
| **Scales of pay** | **15** | **(1)** The scales of pay admissible to persons appointed to the post of Assistant Account Officer in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.<br>**(2)** The scales of pay at the time of the commencement of these rules is Pay Band-2(9300-34800) with Grade Pay Rs. 4800. |
| **Pay during Probation** | **16** | (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed: |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.<br>(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:<br>Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.<br>(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state. |
| | | **PART-VIII-OTHER PROVISIONS** |
| **Canvassing** | **17** | No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. |
| **Regulation of other matters** | **18** | In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state. |
| **Relaxation from the conditions of service** | **19** | Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | | the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. |
| **Savings** | **20** | Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. |

By order,

Ajay Agrawal
Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।